

राजस्थान सरकार  
पंचम राज्य वित्त आयोग  
प्रथम तल, बी-ब्लॉक, वित्त भवन, जन पथ, जयपुर- 302005  
फोन नं.- 0141-2742881, 2742833, फैक्स नं.- 2742875

Website: [www.sfc.rajasthan.gov.in](http://www.sfc.rajasthan.gov.in)  
E-mail Address: [sfc-5@rajasthan.gov.in](mailto:sfc-5@rajasthan.gov.in)

प.5(29) 5वां रा.वि.आ./2015

जयपुर, दिनांक 09.11.2015

मुख्य कार्यकारी अधिकारी  
नगर निगम समस्त (7)  
राजस्थान

विषय:- राज्य वित्त आयोग की प्रश्नावली एवं अन्य आवश्यक सूचनायें भिजवाने बाबत।

महोदय,


संभवतः आपको विदित होगा कि संविधान के अनुच्छेद 243 एवं राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 के अन्तर्गत इस आयोग का गठन महामहिम राज्यपाल के आदेश दिनांक 29.05.2015 द्वारा किया गया है। आयोग को समस्त शहरी स्थानीय निकायों की आर्थिक स्थिति का आकलन कर इन्हें राज्य सरकार से आवश्यक आर्थिक सहायता स्वीकृत कराने तथा स्वयं के संसाधन बढ़ाने हेतु जरूरी कदम उठाने के संबंध में सिफारिशें करनी हैं। आयोग की सिफारिशें वर्ष 2015 से 2020 तक के लिये लागू रहेगी।

आयोग ने इस हेतु एक प्रश्नावली तैयार की है तथा नगर निगम की गत पाँच वर्षों 2010-2015 के वास्तविक आय व्यय एवं आगामी पाँच वर्षों 2015-20 की मदवार आवश्यकता एवं उपलब्धता तथा संभावित अन्तर की गणना हेतु प्रपत्र तैयार किये हैं जो इस पत्र के साथ संलग्न हैं।

आपसे आग्रह है कि आपके नगर निगम के लिये प्रेषित की जा रही प्रश्नावली एवं प्रपत्रों में वांछित सूचनायें भिजवाने की व्यवस्था करावें। आयोग का कार्यकाल सीमित अवधि के लिये है तथा आयोग को शीघ्र अपना प्रतिवेदन राज्यपाल महोदय को प्रस्तुत करना है। अतः इस कार्य को प्राथमिकता देने का कष्ट करें।

संलग्न:- यथोपरि

भवदीय,

  
(एस.सी.देराश्री)  
सदस्य सचिव